

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद

25.09.2019

पत्रावली आज पेश हुई। उपयुक्त जुर्म स्वीकृति के आधार पर उसे दोषी पाते हुए उसे 5000 रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे 20 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुरादाबाद।